तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	T.I. दीपचन्द बनाम जमना देवी वगैरह	
20/2/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। वकील प्रार्थी की T.I. प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का उल्लेख करते हुए तानिस्तारण वाद पत्र तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने का निवेदन किया गया। पत्रावली व वाद पत्र मे संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार होने के कारण प्रथम दृष्टया व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित होते है यदि अप्रार्थीगण द्वारा भूमि का बेचान व हस्तान्तरण किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय से अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि ग्राम तलावडा तहसील कुण्डल जिला-दौसा मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1852/1 रकबा 1.00 है० के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील लेखा भण्डार हो एवं मूल वाद के संलग्न हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया गया व खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सैंथल	